उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 3 1-15 फरवरी 2024 ₹ 20/-

हल्द्वानी में अवैध निर्माण गिराने से मचा बवाल

- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी
- पाकिस्तान में खंडित जनादेश के कारण राजनीतिक अस्थिरता
- कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारी रिहा
- राजस्थान में सूर्य नमस्कार का विरोध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

हल्द्वानी में अवैध निर्माण गिराने से मचा बवाल 04
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला 09
राजस्थान में सूर्य नमस्कार का विरोध 15
महाभारतकालीन लाक्षागृह या पीर का मजार? 16
नफरती भाषण देने के आरोप में मुफ्ती सलमान अजहरी गिरफ्तार 19

विश्व

पाकिस्तान में खंडित जनादेश के कारण राजनीतिक अस्थिरता 22
अफगानिस्तान में पैर पसार रहा अलकायदा 26
सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के नए बादशाह 28
इल्हाम अलीयेव अजरबैजान के राष्ट्रपति निर्वाचित 29
प्रबोवो सुबिआंतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति निर्वाचित 30

पश्चिम एशिया

कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारी रिहा 31
अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन 33
अमेरिका द्वारा इराक और सीरिया के अनेक स्थानों पर भीषण बमबारी 35
यमन में हूती ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले 37
ईरान ने की भारतीयों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश की घोषणा 38

सारांश

उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए एक मदरसे और मस्जिद को अदालती आदेश पर प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था। इसका मुसलमानों द्वारा जबर्दस्त विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जोरदार झड़पें हुईं। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह का आरोप है कि मुसलमान काफी समय से इस दंगे की तैयारी कर रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने घरों पर भारी संख्या में पत्थर और पेट्रोल बम इकट्ठा कर रखे थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर हमले के लिए किया। जब स्थिति बहुत बिगड़ गई तो पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें कम-से-कम छह लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए।

सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 100 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। दंगाईयों के खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दंगाईयों के नेताओं की पहचान कर ली गई है और उनकी संपत्ति को जब्त करने के बाद उनके घरों को बुलडोजरों से ध्वस्त किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हिंसा को भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि ये दंगे प्रशासनिक अधिकारियों की जल्दबाजी के कारण भड़के हैं। उन्होंने यह मांग की है कि दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस कानून में पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने पर सजा का प्रावधान है। हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पंजीकरण कराना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की भी व्यवस्था की गई है। इस कानून का मुस्लिम संगठनों द्वारा जबर्दस्त विरोध किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने की घोषणा की है।

पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनावों में खंडित जनादेश आने के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। मतदान के परिणामों की घोषणा के दस दिन के बाद भी वहां पर अभी तक सरकार का गठन नहीं हो सका है। खास बात यह है कि सेना के प्रबल विरोध के बावजूद पाकिस्तानी जनता ने इन चुनावों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थन किया है। यह तथ्य सर्वविदित है कि पाकिस्तान का असली शासक वहां की सेना है और जो नेता सेना की कठपुतली बनने से आनकानी करता है उसे सत्ता से हटा दिया जाता है। यहां तक कि न्यायपालिका भी सेना के हाथों कठपुतली बनी हुई है। यही कारण है कि सेना के दबाव के कारण अदालत ने अगले दस साल तक इमरान खान के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त उन्हें दस मुकदमों में 34 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है।

प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रयासों से कतर सरकार ने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को रिहा कर दिया है। पिछले साल के अक्टूबर महीने में कतर की एक अदालत ने इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। बाद में इनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था। अब ये अधिकारी सकुशल स्वदेश लौट आए हैं। उर्दू अखबारों का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सफल नीतियों के कारण मध्य पूर्व के देशों में भारत का दबदबा बढ़ा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अबू धाबी में निर्मित एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। 2015 में संयुक्त अरब अमीरात के शासक ने इस मंदिर के लिए भूमि दान में दी थी। इस मंदिर के निर्माण पर 700 करोड़ रुपये की लागत आई है और यह 27 एकड़ में फैला हुआ है।

हल्द्वानी में अवैध निर्माण गिराने से मचा बवाल

इंकलाब (10 फरवरी) के अनुसार उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान एक मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद हिंसा भड़क उठी। उग्र मुस्लिम भीड़ ने पुलिस पर हमले शुरू कर दिए। थाने को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिकर्मियों को जीवित जलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया और दंगाईयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई। गौरतलब है कि रेलवे ने नजूल भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने का अनुरोध अदालत से किया था। इसके बाद अदालत ने इस अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आरोप लगाया है कि इन दंगों की तैयारी काफी समय से की जा रही थी। प्रशासन ने अदालत के निर्देश पर इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की तो उत्तेजित भीड़ ने प्रशासनिक कर्मचारियों और पुलिस पर धावा बोल दिया। आसपास के घरों की छतों से उन पर पथराव किया गया और भारी संख्या में पेट्रोल बम फेंककर उन्हें जीवित जलाने का प्रयास किया गया।

इंकलाब ने आरोप लगाया है कि आजादी के पहले से मुसलमान इस क्षेत्र में भारी संख्या में आबाद हैं और अब वहां पर रह रही 50 हजार से अधिक मुस्लिम आबादी को प्रशासन जबरन बेदखल कर रहा है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जबरन बेदखली पर रोक लगा दी थी और कहा था कि जब तक इन लोगों को अन्य जगह नहीं बसाया जाता तब तक उन्हें जबरन बेदखल न किया जाए। समाचारपत्र ने कहा है कि इस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बड़े पैमाने पर आग लगाने और गोलियां चलाने की आवाज सुनाई दे रही है। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। उत्तराखंड के पुलिस

महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा है कि पुलिस पर हमला करने वालों, तोड़फोड़ करने वालों और आग लगाने के दोषी लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।

हल्द्वानी की घटना के बाद पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गुप्त सूत्रों ने यह आशंका व्यक्त की है कि शरारती तत्व दंगे भड़का सकते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी को सुरक्षाबलों ने पूरी तरह से घेरे में ले रखा है। शहर में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा है कि बहुत से दंगाई पकड़े गए हैं। उत्तराखंड पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बनभूलपुरा में दंगे भड़काने वालों की पहचान कर रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि पुलिस के कर्मचारी भी मुस्लिम मोहल्ले पर पथराव करते हुए वीडियो में दिखाई देते हैं। दूसरी ओर, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा किया है कि मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई कानून के अनुसार की जा रही है। जबकि मुस्लिम नेताओं का दावा है कि इस संदर्भ में जो याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई थी उस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 14 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी, मगर इससे पहले ही प्रशासन ने मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया और महिलाओं ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद पथराव और झड़पें शुरू हो गईं।

नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने दावा किया है कि शरारती तत्वों ने जानबूझकर दंगा भड़काने का प्रयास किया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने हल्द्वानी की घटना की निंदा करते हुए जनता से अपील की है कि वे आपसी सद्भावना और शांति को बनाए रखें। कांग्रेस ने इस हिंसा के लिए प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए गए, जिसमें छह लोग मारे गए। इन झड़पों के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और दंगाईयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सहाफत (9 फरवरी) के अनुसार हल्द्वानी में मदरसा और मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के बाद नगर में हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने पुलिस के अनेक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पथराव में कई पुलिस अधिकारी और पत्रकार भी जख्मी हो गए। उत्तेजित भीड़ ने बनभूलपुरा पुलिस थाने को भी आग के हवाले कर दिया। देहरादून में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रशासन की टीम अदालत के निर्देश पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए बनभूलपुरा गई थी। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर उत्तेजित भीड़ ने पथराव किया और उन पर पेट्रोल बम फेंके। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जब इसके बाद भी स्थिति काबू में नहीं आई तो लाठीचार्ज किया गया, मगर जब स्थिति और बिगड़ गई तो पुलिस को गोली चलानी

कर दिया। जब जनता ने इसका विरोध किया तो उन पर गोली चलाई गई, जिसमें छह निर्दोष मुस्लिम नौजवान मारे गए और लगभग 100 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर प्रशासन स्थानीय जनता को विश्वास में लेता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। अब बदले की भावना के तहत प्रशासन अंधाधुंध गिरफ्तारियां कर रहा है। पुलिस के उत्पीड़न से भयभीत होकर सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए हैं।

पड़ी। इस गोलीबारी में पांच लोग मारे गए। विस्फोटक स्थिति को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों से पुलिस और अर्धसैनिक बल काफी संख्या में हल्द्वानी भेजे गए हैं और वहां पर अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। दंगाईयों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि मदरसा और मस्जिद पूरी तरह से गैरकानूनी थी, जिसे नगर निगम की तीन एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। अदालत के निर्देश पर मदरसा और मस्जिद को पहले सील किया गया और बाद में इसे ध्वस्त किया गया।

इंकलाब (13 फरवरी) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी के निर्देश पर पांच सदस्यीय जांच टीम हल्द्वानी के दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजी गई थी। इस जांच टीम ने आरोप लगाया है कि हल्द्वानी में दंगों के लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। प्रशासन ने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि 14 फरवरी से पहले किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में अदालत में दायर की गई याचिका पर निर्णय होने के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद प्रशासन ने अचानक मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त

इस प्रतिनिधिमंडल को स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस ने रात में सैकड़ों लोगों के घरों पर छापे मारे और काफी नौजवानों को जबरन उठा लिया। इसके बाद इन नौजवानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद किया जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रशासन ने उन्हें दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने कहा कि कर्फ्यू के चलते दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अतिक्रमण में जो भूमि खाली करवाई गई है वहां पर पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने इस हिंसा के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराते हुए कहा कि इन दंगों की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी।

एक अन्य समाचार के अनुसार जमीयत उलेमा और जमात-ए-इस्लामी के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर बनभूलपुरा में निर्दोष लोगों को गोली मारे जाने व उनकी अंधाधुंध गिरफ्तारियों की निंदा की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि

पुलिस जानबूझकर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है। मुस्लिम मोहल्ले में आधी रात को छापे मारे जा रहे हैं और महिलाओं व बच्चों से मारपीट की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार न किया जाए और महिलाओं व बच्चों को परेशान न किया जाए। जो लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए हैं उनके परिवारजनों को एक-एक करोड़ का मुआवजा दिया जाए। पुलिस महानिदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिलाया है कि किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

उर्दू टाइम्स (17 फरवरी) के अनुसार उत्तराखंड प्रशासन ने जुमे के दिन हल्द्वानी की मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के बाद लोगों को अपने घरों में ही नमाज पढ़नी पड़ी। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और नौ लोग फरार हैं। फरार लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर जिन 13 महिलाओं को पुलिस पर पथराव करने का दोषी पाया गया है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी सूचना के अनुसार इन दंगों में अब तक छह लोग मारे जा चुके हैं। जबकि दो घायलों की हालत गंभीर बताई जाती है। इस दंगे में 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं और पांच हजार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

इंकलाब (14 फरवरी) के अनुसार हल्द्वानी दंगों के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को प्रशासन ने दो करोड़ 44 लाख रुपये हर्जाने का नोटिस दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि उसके कारण जो सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है उसका भुगतान उसे करना होगा। बगीचा नामक भूमि पर स्थित जिस मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त किया गया है वह इसी अब्दुल मलिक की मिल्कियत थी। समाचारपत्र का कहना है कि 300 से अधिक परिवार पुलिस उत्पीड़न के कारण अपने घर छोड़ चुके हैं।

सहाफत (15 फरवरी) के अनुसार अब्दुल मलिक सहित छह अन्य आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि ये मकान सरकारी जमीन पर बने हुए थे।

अवधनामा (13 फरवरी) ने आरोप लगाया है कि हल्द्वानी में पुलिस की फायरिंग में जिन लोगों की मौत हुई है उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। स्थानीय मुसलमान मस्जिद में रखे कुरानों को वहां से निकालना चाहते थे, मगर

प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। स्थानीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया। जब इस मदरसे और मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा था तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है। जब मस्जिद के इमाम ने अदालत के आदेश की कॉपी मांगी तो उन्हें कॉपी नहीं दी गई और उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद आम मुसलमानों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस व प्रशासन का आरोप है कि उन पर किया गया हमला पूर्वनियोजित था और लोग पहले से ही अपने घरों के छतों पर पत्थर जमा कर रखे थे, मगर प्रशासन यह नहीं बता रहा कि आम लोगों को पथराव करने के लिए किसने मजबूर किया? क्या उसके लिए स्थानीय प्रशासन और उसके कर्मचारी दोषी नहीं है? दूसरी बात यह है कि अगर यह मदरसा और मस्जिद गैरकानूनी थी या सरकारी जमीन पर कब्जा करके इन्हें बनाया गया था तो अभी तक प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी? इसे बिजली और पानी का कनेक्शन किसने दिए थे?

समाचारपत्र का कहना है कि इससे पहले भी पिछले साल जनवरी महीने में बनभूलपुरा कॉलोनी का मामला अदालत में आया था। इस क्षेत्र के लोगों ने उच्च न्यायालय में जो दस्तावेज पेश किए थे उससे यह साबित होता है कि उन्होंने यहां पर जमीन खरीदकर अपने मकान, दूकान और स्कूल वगैरह बनाए हैं। उन्होंने इस खरीद के प्रमाण के रूप में अपनी-अपनी रजिस्ट्रियां भी पेश की थीं, जो एक सौ साल पुरानी थीं। बाद में जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो अदालत ने इनके मकानों को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी। अभी यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अगर यह मामला विचाराधीन है तो क्या प्रशासन ने इन घरों को ध्वस्त करके अदालत की मानहानि नहीं की है?

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर मीडिया जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है उसमें सारा दोष मुसलमानों पर ही मढ़ा जा रहा है। अगर ध्वस्त करने वाले कर्मचारी अदालत का आदेश नहीं दिखा रहे थे तो इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। हालांकि, अब अदालतों से बहुत ज्यादा इंसाफ की उम्मीद नहीं रह गई है, मगर फिर भी आखिरी सहारा अदालतें ही हैं। मुसलमानों को यह बात समझनी चाहिए कि अगर वे किसी भी मामले में कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा। यूं भी उत्तराखंड में भाजपा का शासन है और इसका रवैया मुसलमानों के प्रति किस तरह का है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

उर्दू टाइम्स (14 फरवरी) के अनुसार नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी के 120 लोगों के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और उन्हें यह निर्देश दिया है कि वे अपने हथियार पुलिस के पास जमा करवा दें। हल्द्वानी के अतिरिक्त जिलाधिकारी ने बताया कि बनभूलपुरा के स्थानीय लोगों ने अपने लाइसेंसी हथियारों का गलत इस्तेमाल करके लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए जिलाधिकारी ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला

सहाफत (8 फरवरी) के अनुसार भाजपा शासित उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां की विधानसभा ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब इसे भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी लागू किए जाने की संभावना है। अब उत्तराखंड के सभी लोगों पर विवाह, शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना आदि मामलों में समान कानून लागू किया जाएगा। जबकि यह संविधान में मुसलमानों को दी गई गारंटी के सरासर खिलाफ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाददाताओं को बताया कि आज का दिन बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हमने एक ऐसा कानून पारित किया है जिसकी देश की जनता लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। उत्तराखंड इस स्वप्न को साकार करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रत्येक पुरुष और महिला के हित में है कि उन्हें शादी, गुजारा, विरासत और तलाक जैसे मामलों में समान अधिकार मिले। जब यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया तो विपक्षी दल कांग्रेस ने मांग की कि इसे चयन समिति के हवाले किया जाए।

इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है और इसे गैरजरूरी और बहुधार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि राजनीतिक प्रचार के लिए इस कानून को जल्दबाजी में लाया गया है। इस कानून में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के बारे में जो नीति अपनाई गई है वह इस्लाम के सरासर खिलाफ है। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के भी खिलाफ है। यह कानून संविधान की धारा 25, 26 और 29 के विरुद्ध है और यह धार्मिक-सांस्कृतिक विविधता के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी दोनों को बराबर का हिस्सा दिया गया है, जो शरिया कानून के खिलाफ है। विवाह,

तलाक और विरासत के मामले में मुसलमानों को शरिया में दिए गए अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 में की गई है।

उर्दू टाइम्स (7 फरवरी) के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक को पेश किया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में विवाह से संबंधित अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो शरिया के खिलाफ हैं। इस कानून में विवाह के लिए पुरुष की उम्र 21 वर्ष और महिला की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। जबकि शरिया के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ में उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। मासिक धर्म शुरू होने के बाद किसी भी समय लड़की का निकाह किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शादी का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे 20 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। शादी की अवधि के एक वर्ष पूरे होने से पहले पति या पत्नी तलाक के लिए अदालत में नहीं जा सकेंगे। शादी चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा द्वारा की गई हो, लेकिन तलाक उसे अदालत से ही लेना होगा। किसी भी व्यक्ति को फिर से विवाह करने की अनुमति तभी मिलेगी जब अदालत पहले पति या पत्नी को तलाक की अनुमति दे चुकी होगी। इस कानून के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। कानून के विरुद्ध विवाह करने पर छह महीने तक की कैद और 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानून का उल्लंघन करके तलाक लेने पर भी तीन साल तक की कैद की व्यवस्था है। पुरुष या महिला की दूसरी शादी तभी की जा सकती है जब दोनों में से एक की मृत्यु हो गई हो। अगर पति या पत्नी वैवाहिक बंधन में बंधने के बावजूद किसी अन्य महिला या पुरुष से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वैसी स्थिति में तलाक लिया जा सकता है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 फरवरी) के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता कानून पर राजनीति तेज हो गई है। कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने उत्तराखंड सरकार के इस फैसले की निंदा की है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हमें ऐसा कानून मंजूर नहीं है, जो इस्लाम और शरिया के खिलाफ हो। उन्होंने एक बयान में कहा है कि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरिया और मजहब से हरगिज समझौता नहीं कर सकता। उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता कानून मंजूर हुआ है उससे अनुसूचित जनजातियों को मुक्त रखा गया है और यह तर्क दिया गया है कि संविधान की धारा 21 के तहत उन्हें इसका संरक्षण प्राप्त है। मदनी ने कहा कि अगर अनुसूचित जनजातियों को एक धारा के आधार पर इस कानून से मुक्त रखा जा सकता है तो संविधान की धारा 25 और 26 के तहत हमें इससे मुक्त क्यों नहीं रखा जा सकता? अगर यह समान नागरिक संहिता है तो नागरिकों

के बीच यह भेदभाव क्यों? उन्होंने कहा कि हमारी लीगल टीम इस विधेयक के कानूनी पहलुओं को देखेगी। इसके बाद ही इसे अदालत में चुनौती देने पर विचार किया जाएगा।

समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा है कि यह कानून कुरान में मुसलमानों को दिए गए निर्देशों के खिलाफ है और हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के खिलाफ नहीं हैं। संविधान का संचालन नियमों के तहत होता है और सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा जल्दबाजी में इस विधेयक को पारित करवाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार इसे जल्दबाजी में मंजूर कराने के लिए बेताब है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार इस मामले में पहल कर रही है। जबकि इस तरह का कानून केंद्र सरकार को लाना चाहिए।

हमारा समाज (8 फरवरी) के अनुसार उत्तराखंड हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मौलाना जाहिद रजा रिजवी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यह कदम जल्दबाजी में उठा रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने शिकायत की कि इस विधेयक का प्रारूप बनाने के लिए जो विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी उसने किसी भी मुस्लिम नेता या धार्मिक विद्वान से किसी तरह की राय नहीं मांगी। समान नागरिक संहिता का सिख और ईसाई भी विरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान कोई भी ऐसी चीज स्वीकार नहीं करेंगे, जो कानून और शरिया के विपरीत हो।

अखबार-ए-मशरिक (6 फरवरी) के अनुसार मुस्लिम संगठनों ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। जामा मस्जिद, देहरादून के काजी ने कहा है कि इस कानून में सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया

गया है। उन्होंने कहा कि हम कानूनी दायरे में रहते हुए इस काले कानून के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुस्लिम संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का घेराव भी किया था। जब तक मुसलमान एकजुट नहीं होते भाजपा की मनमानी को रोकना संभव नहीं है।

रोजनामा सहारा (8 फरवरी) के अनुसार जैसे ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी हो जाएगा और ऐसा न करने पर उन्हें छह महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी को भी गैरकानूनी करार दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो समान नागरिक संहिता के अनुसार उस व्यक्ति की संपत्ति को उसकी पत्नी और बच्चों में बराबर-बराबर बांटा जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके माता पिता का भी इस संपत्ति में अधिकार होगा। पहले केवल मृतक की मां ही संपत्ति से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती थी। तलाक सिर्फ उसी स्थिति में मिलेगा जब दोनों पक्ष सहमत होंगे। लिव-इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चे की जिम्मेवारी दोनों को उठानी पड़ेगी। इस कानून से राज्य के आदिवासी मुक्त रहेंगे। राज्य में पांच आदिवासी समूह हैं, जिनमें थारू, बुक्सा, राजी, भूटिया और जौनसारी शामिल हैं। दोबारा शादी

करने के लिए हलाला या इद्दत जैसी शर्त जरूरी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त इस्लाम में घोषित चाचा और मामा के बेटे, बेटियों के साथ विवाह पर प्रतिबंध होगा।

कौमी तंजीम (16 फरवरी) ने कहा है कि पहले आरएसएस का नारा हुआ करता था, 'एक राष्ट्र, एक भाषा और एक संस्कृति, लेकिन जब से भगवा टोली सत्ता में आई है इस नारे में एक और वृद्धि हुई है और वह है एक धर्म। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था और देश को सेक्युलर लोकतंत्र घोषित किया गया था। सेक्युलर देश का जनाजा तो कब का निकल चुका है। अब रही बात लोकतंत्र की तो वह भी अब नाम मात्र का रह गया है। देश तानाशाही और हिंदू राष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि सभी देशवासियों के लिए एक कानून समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसका एकमात्र लक्ष्य लोकसभा के अगले चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करके सत्ता पर कब्जा करना है। इस लक्ष्य के लिए उत्तराखंड और असम जैसे छोटे राज्यों ने केंद्र के इशारे पर पहल शुरू कर दी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून पास हो चुका है और अब इसे असम में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है।

गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता भाजपा का पुराना एजेंडा है और आज इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। केंद्र के इशारे पर उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू किया है। इस कानून के बहाने भाजपा मुसलमानों की प्रतिक्रिया जानना चाहती है। यह कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर लागू होगा, क्योंकि उत्तराखंड में आदिवासियों के सख्त विरोध के कारण सरकार ने उन्हें इस कानून से मुक्त रखने का फैसला किया है। हालांकि, इस कानून में इस्लामी शरिया के विरुद्ध कई बातें हैं, लेकिन इनमें से चार मुख्य हैं। पहला, विवाह के लिए अदालत में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। दूसरा, विवाह के एक साल के अंदर तलाक देने की अनुमति नहीं होगी। अब किसी को खुद तलाक देने का अधिकार भी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जबकि इस्लाम के अनुसार पति जब चाहे अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है और पत्नी भी अपनी इच्छानुसार अपने पति से खुला ले सकती है।

अब अदालत में तलाक लेने के कारण बताने होंगे। जब अदालत संतुष्ट हो जाएगी तभी वह तलाक की अनुमति देगी। अदालत की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। दूसरा विवाह करने के लिए अदालत को उचित कारण भी बताना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों का बराबर का हिस्सा होगा। ये सभी मुद्दे कुरान, सुन्नत और शरिया के खिलाफ हैं। मुसलमान इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनके ईमान, इस्लाम और शरिया के खिलाफ है। मुस्लिम संगठनों ने इसलिए इसका विरोध करने का फैसला किया है और वे अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को याद रखना चाहिए कि अब अदालत से न्याय की उम्मीद रखना बेमानी है। बाबरी और ज्ञानवापी से संबंधित फैसले जनता की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। अगर मसुलमानों को अपने ईमान, इस्लाम और अपनी पहचान के अनुसार इस देश में रहना है तो उन्हें अपने ईमान पर डटे रहना चाहिए और कुरान व सुन्नत पर सख्ती से अमल करना चाहिए। इसके लिए उन्हें सड़क पर जाने की जरूरत नहीं है। आप कितने भी शांतिमय ढंग से जुलूस निकालेंगे, लेकिन धर्मांध मीडिया और प्रशासन इसे गलत रंग देगा और मुसलमानों को जेल में डाल देगा। अपने देश में इस्लाम और मस्जिदें सुरक्षित नहीं हैं। अब सीएए और एनआरसी जैसे काले कानूनों को मुसलमानों पर थोपने की तैयारी की जा रही है। संभव है कि लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज

करने के बाद भाजपा वर्तमान संविधान को बदलकर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे।

उर्दू टाइम्स (18 फरवरी) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि समान नागरिक संहिता की आड़ में देश की जनता पर हिंदू कोड बिल को थोपा जा रहा है। विश्व के विभिन्न देशों में राजनीति का आधार विकास और जनकल्याण होता है, लेकिन हमारे देश में सत्ता प्राप्ति का रामबाण मुसलमानों को परेशान करना है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के नाम पर जो कूड़ा-करकट मुसलमानों पर लादा जा रहा है वह इसी राजनीति का नतीजा है। संघ परिवार शुरू से ही हिंदू कोड बिल का विरोधी रहा है। यह समान नागरिक संहिता कानून मुसलमानों को उनके शरिया कानूनों पर अमल करने से रोकने की साजिश के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह से हिंदू कोड बिल को जबरन मुसलमानों पर लाद दिया गया है। हिंदू कोड बिल में पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति नहीं है। अब यह कानून मुसलमानों पर भी लागू होगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों की विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अधिक उम्र की महिलाओं पर होगा। अब वह किसी विवाहित पुरुष की दूसरी पत्नी बनकर सम्मानजनक जीवन व्यतीत नहीं कर सकेंगी। यह कानून मुसलमानों को हलाल तरीके से जिंदगी गुजारने से रोकता है। हालांकि, हराम तरीके से जीवन व्यतीत करने पर इस कानून को कोई आपत्ति नहीं है।

इत्तेमाद (6 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि हम तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे अर्थात राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता को इस समय छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है। जब हमारा बहुमत होगा तब हम इसे लागू करेंगे। ऐसा महसूस होता है कि अब वह समय आ चुका है। क्योंकि भाजपा के पास बहुमत है और वह अपने एजेंडे को कार्यान्वित कर रही है। इस पुराने एजेंडे के दो मुद्दों को पूरा कर लिया गया है। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और धारा 370 का भी खात्मा हो चुका है। अब आम चुनाव से पहले देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से की जा रही है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, जिसने 22 दिसंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंप दी थी। 2018 में विधि आयोग ने कहा था कि इस समय देश में समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं है और न ही उसे लागू करने का उचित वातावरण है। सरकार को इस बात का भय था कि समान नागरिक संहिता लागू करने का विरोध हिंदुओं की ओर से भी किया जाएगा, क्योंकि अगर हिंदू संयुक्त परिवार का कानून समाप्त होगा तो करों के भुगतान में हिंदुओं के संयुक्त परिवार को जो सुविधाएं मिलती हैं वह भी समाप्त हो जाएंगी। गौरतलब है कि भाजपा के एक सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जनता की भावना को परखने के लिए इस संदर्भ में एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया था, जिसका विरोध कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और तणमूल कांग्रेस ने किया था। उनका कहना था कि इस कानून को लागू करने से सामाजिक तानाबाना और साझी विरासत को नुकसान होगा। सवाल यह पैदा होता है कि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने वाली कमेटी में किसी अल्पसंख्यक को शामिल क्यों नहीं किया था? साफ है कि यह विधेयक मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ही लाया गया है ताकि अगले चुनाव में बहुसंख्यक समुदाय के वोटों को बटोरा जा सके। समान नागरिक संहिता पर जोर देने वालों को एक बात याद रखनी चाहिए कि आदिवासी,

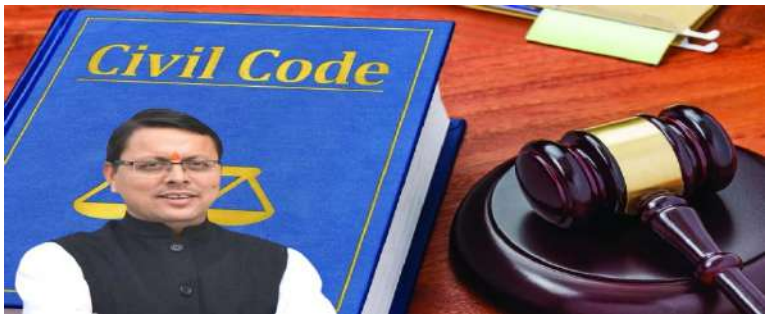

दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा इसका विरोध किया जा सकता है।

इंकलाब (9 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगर उत्तराखंड सरकार की नजर में यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण था तो इसे सत्ता में आते ही क्यों नहीं पारित किया गया? अब चुनाव नजदीक आते ही सरकार को इसकी क्यों याद आई? साफ है कि सरकार समान नागरिक संहिता की आड़ में बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। दूसरा लक्ष्य यह भी हो सकता है कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद विपक्षी पार्टियों और संगठनों की क्या प्रतिक्रिया होगी? सरकार ने सोचा कि पहले इसे एक राज्य में लागू किया जाए ताकि यह मालूम हो जाए कि मामला अदालत तक पहुंचा तो उसका रूख क्या होता है। समाचारपत्र ने कहा है कि हमने इस विधेयक के प्रारूप का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए हमारे लिए यह कहना कठिन है कि निजता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता इस कानून के लपेटे में आते हैं कि नहीं। अगर ऐसा है तो यह कानून अदालत में टिक नहीं पाएगा।

रोजनामा सहारा (7 फरवरी) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि भाजपा मुस्लिम दुश्मनी की हद तक पहुंच चुकी है। अगर किसी कानून से मुसलमानों को नुकसान होता है तो सरकार उसे हर हालत में लागू करेगी। चाहे उसके कारण देश में विघटन और विवाद ही क्यों न उत्पन्न हो। उत्तराखंड के विधायकों ने जय श्रीराम के नारों से समान नागरिक संहिता विधेयक का स्वागत किया और उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अब यह विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा और उनकी स्वीकृति के बाद देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस विधेयक में 400 से अधिक ऐसी धाराएं हैं, जिनका लक्ष्य परंपरागत रस्मो-रिवाज की विसंगतियों को दूर करना और सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाना है। इस कानून में लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है और सभी बच्चों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने की व्यवस्था की गई है। अगर किसी महिला को उसका साथी छोड़ देता है तो वह इस कानून के तहत गुजारा भता का दावा कर सकती है। समाचारपत्र ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप रखैल रखने का ही दूसरा नाम है, लेकिन भारत की देवभूमि में इसे कानूनी संरक्षण प्रदान करना आश्चर्यजनक है। दुनिया के सभी धर्म बिना विवाह के पुरुष और महिला के एक साथ रहने की निंदा करते हैं, क्योंकि इन संबंधों के कारण जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें समाज स्वीकार नहीं करता है। सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की बात करने वाले मुख्यमंत्री धामी लिव-इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देकर सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को छिन्न-भिन्न करने की बुनियाद रख रहे हैं और इसमें वे खुशी का भी अनुभव कर रहे हैं।

तासीर (7 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता का जो कानून पारित किया है वह इस्लामी शरिया कानूनों के खिलाफ है। समाचारपत्र ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वे इस कानून का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने के बाद अगले कदम के बारे में कोई फैसला करें।

राजस्थान में सूर्य नमस्कार का विरोध

हमारा समाज (12 फरवरी) के अनुसार राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है। इसकी शुरुआत 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर की जा रही है। राजस्थान सरकार के इस निर्देश के बाद जमीयत उलेमा, राजस्थान की एक बैठक जयपुर में हुई। इस बैठक में सूर्य नमस्कार के बारे में राज्य सरकार के निर्देश की निंदा की गई। जमीयत उलेमा की ओर से मुसलमानों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे सूर्य नमस्कार का सामूहिक बहिष्कार करें और अपने बच्चों को स्कूलों में न भेंजे। इस बैठक में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सरकार का यह फैसला संविधान का उल्लंघन है और उसमें अल्पसंख्यकों को दी गई धार्मिक आजादी के भी खिलाफ है। जमीयत उलेमा ने कहा कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की वंदना करना इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ है। जमीयत उलेमा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके यह मांग की है कि सूर्य नमस्कार को राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य करने के सरकारी फैसले को रद्द किया जाए।

जमीयत उलेमा के प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म में सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है और इसमें जो श्लोक बोले जाते हैं वह पूजा का ही एक हिस्सा है। जबकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा नहीं की जा सकती, इसलिए मुसलमान इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि सरकार हिंदू आस्था को दूसरे संप्रदाय के लोगों पर जबरन लाद रही है। इसके अतिरिक्त बच्चों को सूर्य की उपासना करने पर मजबूर करना बाल अधिकारों का खुला उल्लंघन है, इसलिए सरकार इस आदेश को वापस ले ले। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय ने जमीयत उलेमा की इस याचिका को रद्द कर दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 फरवरी) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना

खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने राजस्थान के मुसलमानों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने बच्चों को स्कूलों में न भेजें और सूर्य नमस्कार के समारोह का बहिष्कार करें। उन्होंने कहा कि सूर्य की पूजा करना इस्लाम की नजर में हराम है और यह इस्लामी शरिया के खिलाफ है। रहमानी ने राजस्थान सरकार से अपील की है कि मुसलमानों को सूर्य नमस्कार के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मजबूर न किया जाए।

सियासत (15 फरवरी) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि राजस्थान में जब से भाजपा सत्तारूढ़ हुई है तब से दिन-प्रतिदिन मुसलमानों के लिए स्थिति खराब होती जा रही है। हवामहल क्षेत्र से निर्वाचित विधायक बालमुकुंद आचार्य ने विधायक पद की शपथ लेते ही अपने क्षेत्र में मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मांस की दुकानों और मुस्लिम होटलों को बंद करने के लिए दबाव डाला। दुख की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन ने भी उनका साथ दिया। बाद में इसी विधायक ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने का भी विरोध किया। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि इस पूरे अभियान का एक ही उद्देश्य नजर आता है कि हिंदुत्व को सभी लोगों पर जबरन लादा जाए और जो इसका विरोध करे उसका जीना दूभर कर दिया जाए। समाचारपत्र ने सरकार से अपील की है कि वह मुसलमानों को सूर्य नमस्कार में भाग लेने पर मजबूर न करे।

अवधनामा (17 फरवरी) ने भी अपने संपादकीय में राजस्थान सरकार से मांग की है कि वह मुस्लिम छात्र व छात्राओं को सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में भाग लेने पर मजबूर न करे, क्योंकि यह उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है। ■

महाभारतकालीन लाक्षागृह या पीर का मजार?

अखबार-ए-मशरिक (6 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में महाभारतकालीन लाक्षागृह और एक पीर के मजार के बारे में जो विवाद पिछले 50 सालों से चल रहा था उस पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि इस स्थल पर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह इस संदर्भ में अदालत में कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं

कर सका है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस 100 बीघा भूमि और मजार पर हिंदुओं का अधिकार है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में महाभारतकालीन लाक्षागृह और बदरुद्दीन शाह के मजार को लेकर पिछले 50 सालों से अदालत में मुकदमा चल रहा था। यह विवाद 1970 में शुरू हुआ था। तब मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकीम खान नामक व्यक्ति ने लाक्षागृह टीले को बदरुद्दीन शाह का मजार और कब्रिस्तान बताया था और उस पर मुसलमानों के दावे को लेकर अदालत में मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में मुस्लिम पक्ष की ओर से एक हिंदू सन्यासी ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया था।

हिंदू पक्ष के वकील रणवीर सिंह ने कहा कि मुस्लिम पक्ष 100 बीघा भूमि को कब्रिस्तान और मजार बताकर उस पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने अदालत के सामने अनेक दस्तावेजी प्रमाण पेश किए, जिसमें कहा गया कि लाक्षागृह का उल्लेख हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक महाभारत में भी है और इस टीले पर एक संस्कृत विद्यालय भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त देश के प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता प्रो. बीबी लाल ने 1952 में जब उत्खनन का कार्य किया था तो यहां पर भूरी मिट्टी के बने अनेक बर्तनों के टुकड़े मिले थे, जो महाभारतकालीन बताए जाते हैं। इसी तरह के बर्तनों के टुकड़े महाभारतकालीन अन्य स्थानों के उत्खनन के दौरान भी पाए गए थे। उन्होंने कहा कि इसी तरह के बर्तनों के टुकड़े हस्तिनापुर और दिल्ली के पुराना किला, जिसे इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। ये तीनों स्थान महाभारतकालीन बताए जाते हैं। पुरातत्व विभाग के इस उत्खनन के आधार पर हिंदुओं ने अदालत में यह दावा किया था कि यह पुरावशेष, जो एक टीले के रूप में है इसके महाभारतकालीन होने के कारण इस स्थान को हिंदुओं के हवाले किया जाए। जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि इस टीले पर 15वीं शताब्दी में बना बदरुद्दीन शाह का एक मजार है और उसके साथ ही एक कब्रिस्तान भी है, इसलिए यह स्थान मुसलमानों की संपत्ति है।

महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने बरनावा या वारणावत में ज्वलनशील सामग्री से एक भवन का निर्माण करवाया था। इस भवन (लाक्षागृह) में महारानी कुंती सहित पांचों पांडवों को जलाकर मारने का षडयंत्र रचा गया था।

महात्मा विदुर को दुर्योधन की इस साजिश की भनक मिल गई। उन्होंने इस संदर्भ में धर्मराज युधिष्ठिर को सतर्क कर दिया। इसके बाद पांडवों ने लाक्षागृह के अंदर एक सुरंग का निर्माण कराया ताकि अगर दुर्योधन लाक्षागृह में आग लगवाता है तो पांडव महारानी कुंती सहित वहां से बचकर निकल सकें। दुर्योधन के लाक्षागृह में आग लगवाने से पहले ही कुंती पुत्र भीमसेन ने लाक्षागृह में आग लगा दी और पांडव उस सुरंग के माध्यम से लाक्षागृह से सुरक्षित निकल गए।

वर्तमान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में कृष्णा और हिंडन नदी के संगम पर बरनावा या वारणावत नामक गांव में एक विशाल टीला है, जिसे लाक्षागृह का पुरावशेष माना जाता है। मुस्लिम शासनकाल में 15वीं शताब्दी में इस टीले पर एक सूफी बदरुद्दीन शाह का मजार बना दिया गया। उसके साथ-साथ वहां पर एक कब्रिस्तान भी बनता गया। दरगाह के प्रबंधक मुकीम खान ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से 1970 में बागपत के सिविल जज की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। इसमें यह दावा किया गया था कि यह वक्फ भूमि है, जिसे मुस्लिम नवाब ने मजार बनाने के लिए मुसलमानों को दान में दी थी और अब हिंदू इस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। मुकीम खान ने एक स्थानीय सन्यासी और लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाते हुए कहा था कि ब्रह्मचारी के नेतृत्व में हिंदू इस मुस्लिम दरगाह पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि, मुस्लिम पक्ष अदालत में कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह साबित हो सके कि किसी नवाब ने मजार बनाने के लिए इस स्थान को मुसलमानों के हवाले किया था।

हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 1952 में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अदालत में प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि बरनावा गांव में स्थित यह टीला महाभारतकालीन लाक्षागृह का पुरावशेष है। इस सर्वे रिपोर्ट में वहां पर किसी मजार या कब्रिस्तान होने का कोई उल्लेख नहीं था। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई स्थान महाभारतकालीन बताए जाते हैं। 2005 में बरनावा से थोड़ी दूर सिनौली नामक गांव में हड़प्पाकालीन अवशेष मिले थे। तब यह दावा किया गया था कि इस स्थान के उत्खनन में जो अस्त्र-शस्त्रों का भंडार बरामद हुआ है वह महाभारतकालीन है। इसी सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिला न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया है।

सहाफत (6 फरवरी) के अनुसार मुस्लिम पक्ष के वकील ने संवाददाताओं को बताया कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अदालत के इस फैसले पर असंतोष प्रकट किया है और कहा है कि हम इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

सियासत (7 फरवरी) के अनुसार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का यह दावा है कि यह मजार और कब्रिस्तान उसके पास पंजीकृत है।

नफरती भाषण देने के आरोप में मुफ्ती सलमान अजहरी गिरफ्तार

सियासत (5 फरवरी) के अनुसार गुजरात एटीएस ने इस्लामिक प्रचारक मुफ्ती सलमान अजहरी को नफरती भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात पुलिस के अनुसार मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को जूनागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव पैदा हो सकता था। पुलिस ने इस संदर्भ में गुजरात के जूनागढ़ में अजहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इस जनसभा के दो आयोजकों को भी गिरफ्तार किया था। बाद में गुजरात पुलिस ने मुंबई स्थित मुफ्ती के मकान पर छापा मारकर उसे हिरासात में ले लिया। मुफ्ती की गिरफ्तारी की खबर जब इस क्षेत्र में फैली तो मुस्लिम भीड़ ने मुंबई के घाटकोपर थाने को घेर लिया और लोग मुफ्ती की रिहाई की मांग करने लगे। उग्र भीड़ ने थाने के बाहर धरना दे दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। भीड़ के तेवर को देखते हुए पुलिस ने मुफ्ती से अनुरोध किया कि वह उत्तेजक भीड़ को शांत करने का प्रयास करे, ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो।

बताया जाता है कि जब मुफ्ती अजहरी के समर्थकों ने थाने पर पथराव किया तो पुलिस के दबाव पर मुफ्ती ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे कानून को अपने हाथों में न लें। अगर इससे शांति व्यवस्था भंग होती है तो प्रशासन और पुलिस को मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने का बहाना मिल जाएगा। मुफ्ती अजहरी के वकील वाहिद शेख ने संवाददाताओं को बताया कि आधी रात को गुजरात पुलिस ने सादे कपड़ों में मौलाना के घर पर छापा मारकर उसे हिरासत में लिया था। गुजरात पुलिस ने बताया कि मुफ्ती और जनसभा के आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

सहाफत (6 फरवरी) के अनुसार मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद गुजरात पुलिस ने उसे मुंबई की एक अदालत में पेश किया। इसके बाद पुलिस ने अदालत से दो दिन का ट्रांजिट रिमांड लेकर मुफ्ती को जूनागढ़ ले गई। यहां पर गुजरात पुलिस उससे पूछताछ करेगी। सलमान अजहरी के वकील आरिफ सिद्दीकी ने पत्रकारों को बताया कि हमने अदालत में ट्रांजिट रिमांड का विरोध करते हुए कहा था कि पुलिस ने गैरकानूनी तौर पर मुफ्ती अजहरी को हिरासत में लिया है। मुफ्ती की गिरफ्तारी से पहले उसे किसी तरह का नोटिस भी नहीं दिया गया। मुफ्ती के वकील ने कहा कि मुफ्ती अजहरी पुलिस को जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। डीसीपी

हेमराज राजपूत ने जनता से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि मुफ्ती सलमान को गुजरात पुलिस ने जानबूझकर झूठे मुकदमे में फंसाया है। मुफ्ती के साथ-साथ इस जनसभा के दो आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मुफ्ती का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसमें मौलाना को यह कहते हुए सुना गया है कि "कर्बला के जंग का आखिरी चरण अभी बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा।"

उर्दू टाइम्स (6 फरवरी) के अनुसार जब मुफ्ती सलमान को घाटकोपर थाने में रखा गया तो उसके समर्थकों ने थाने पर पथराव कर दिया। मुंबई पुलिस के अनुसार थाने पर पथराव करने, सरकारी काम में बाधा डालने और गैरकानूनी तौर पर भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद में आधी रात को पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों के मकानों पर छापे मारे और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

इसी समाचारपत्र में 5 फरवरी के अंक में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार पूर्व मंत्री नसीम खान ने मुफ्ती को जमानत पर रिहा करवाने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह मामला गुजरात पुलिस का है, इसलिए वे इस मामले में बेबस हैं। पुलिस का दावा है कि आयोजकों ने यह कहकर मुफ्ती अजहरी की जनसभा की अनुमति ले ली कि मुफ्ती धर्म के बारे में बात करेंगे और नशा के खिलाफ जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। समाचारपत्र का कहना है कि मुफ्ती की गिरफ्तारी के चलते मुंबई के मुसलमानों में काफी बेचैनी फैली हुई है। मौलाना अब्दुल जब्बार आजमी ने मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि इस समय देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ जानबूझकर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह मामला भी इसी अभियान का एक हिस्सा है। रजा एकेडमी के नेता मोहम्मद सईद नूरी ने कहा है कि मौलाना की गिरफ्तारी शर्मनाक है। मौलाना कोई आतंकी नहीं है जो उन्हें आधी रात को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार मुस्लिम दुश्मनी के कारण मुसलमानों के धार्मिक नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जलील कर रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 फरवरी) में प्रकाशित एक संपादकीय के अनुसार मुसलमानों को परेशान करने के लिए भाजपा सरकार उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। पुलिस ने घाटकोपर थाने के बाहर जमा भीड़ को यह आश्वासन दिया था कि मुफ्ती सलमान को फौरन रिहा कर दिया जाएगा, मगर कानून का उल्लंघन करते हुए उन्हें रात को ही एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनसे ट्रांजिट रिमांड लेकर गुजरात पुलिस मुफ्ती को जूनागढ़ ले गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा के विधायक टी. राजा सिंह और महाराष्ट्र भाजपा के नेता निलेश राणे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, मगर उनके खिलाफ प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मुसलमानों के कमजोर और असंगठित होने के कारण प्रशासन उन्हें अपना निशाना बना रहा है ताकि उनके अंदर भय का वातावरण पैदा किया जाए। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा पूरी मुस्लिम कौम को अपने निशाने पर रखे हुए है। मुसलमानों को संगठित होकर भाजपा का मुकाबला करना चाहिए।

इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार में यह दावा किया है कि गुजरात के मोडासा में आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में मुफ्ती अजहरी के खिलाफ एक अन्य मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 फरवरी) ने अपने संपादकीय में मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि आज के शासकों का दृष्टिकोण मुस्लिम विरोधी है और वे किसी न किसी बहाने से मुसलमानों और उनके नेताओं को परेशान करना चाहते हैं। मुफ्ती अजहरी के खिलाफ यह झूठा मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया है ताकि कोई भी मुस्लिम संगठन या उसके नेता देश में मुसलमानों के उत्पीड़न के अभियान के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत न कर सके। मुफ्ती के भाषण में एक भी ऐसा शब्द नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा फैलाने का प्रयास किया है। यह मुकदमा सरकार के अधिकारों का गलत इस्तेमाल है। देश के मुसलमानों को भयभीत करने के लिए मुफ्ती की गिरफ्तारी का ड्रामा रचा गया और आधी रात को गुजरात पुलिस के लगभग सौ कर्मचारियों ने मौलाना के घर पर छापा मारा। समाचारपत्र ने कहा है कि हाल ही में ज्ञानवापी केस में एक न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त होने से कुछ घंटे पहले ही जो विवादित फैसला दिया था, उससे साफ है कि प्रशासन सत्तारूढ़ दल के दबाव पर मुसलमानों को जानबूझकर परेशान कर रहा है। भाजपा और संघ परिवार के अनेक नेता व सुदर्शन टीवी मुसलमानों के खिलाफ निरंतर जहर उगल रहे हैं, मगर आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव को देखते हुए न्यायिक व्यवस्था की जानबूझकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह पूरी मुस्लिम कौम के लिए चुनौती है। यह किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला नहीं है। सरकार के नापाक इरादों का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों का एकजुट होना बेहद जरूरी है।

विश्व

पाकिस्तान में खंडित जनादेश के कारण राजनीतिक अस्थिरता

पाकिस्तान में चुनाव परिणाम घोषित हुए दस दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां पर सरकार का गठन नहीं हो सका है। इसका कारण यह है कि इन चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुत प्राप्त नहीं हुआ है। विभिन्न दलों ने गठबंधन करके सत्ता में आने का प्रयास किया था, लेकिन आपसी खींचतान के कारण यह संभव नहीं हो सका है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं। इनमें से 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 सीटें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में उसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसे सदन में 169 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। ताजा जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के इन चुनावों में सबसे अधिक निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। इन उम्मीदवारों में से अधिकांश का संबंध पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से बताया जाता है। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पीटीआई के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसके चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट को भी जब्त कर लिया गया था।

हाल के चुनाव में पीटीआई से संबंधित 93 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। जबकि पिछले चुनाव में इस पार्टी के 116 उम्मीदवार जीते थे। इस तरह से इमरान समर्थक सांसदों की संख्या में 23 की कमी आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) को पिछली बार 64 सीटों पर सफलता मिली थी, मगर इस बार उसे 75 सीटें मिली हैं। इस तरह से इस पार्टी को 11 सीटों की बढ़त मिली है। छह निर्दलीय सांसदों के मुस्लिम लीग (नवाज) में शामिल होने के कारण अब उसकी सीटें बढ़कर 81 हो गई हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पिछले चुनाव में 43 सीटें मिली थीं। जबकि इस बार उसे 54 सीटें मिली हैं। इस तरह से इसके सदस्यों की संख्या में 11 की वृद्धि हुई है। वहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) को 17 सीटें प्राप्त हुई हैं। प्रतिबंधित पीटीआई ने यह घोषणा की है कि उससे संबंधित निर्दलीय सांसद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे।

सियासत (12 फरवरी) के अनुसार चुनाव आयोग का कहना है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर

101 हो गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे दलों ने भी इन चुनावों में सफलता प्राप्त की है। इनमें जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई) के 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) के 3, इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी के 3, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (मेंगल) के 2 सदस्य शामिल हैं। जबकि नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (जिया) और मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन को एक-एक सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है।

इंकलाब (10 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान के चुनाव में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें जेयूआई के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता ख्वाजा साद रफीक, आईपीपी के अध्यक्ष जहांगीर तारीन, पीटीआई के नेता चौधरी परवेज इलाही, पीटीआई के नेता परवेज खटक, जमात-ए-इस्लामी के अमीर सिराजुल हक, अवामी नेशनल पार्टी के अध्यक्ष वली खान, एएनपी के नेता अमीर हैदर खान होती शामिल हैं। इसके अतिरिक्त खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री महमूद खान, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी, पीटीआई की नेता आलिया हमजा मलिक, मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता जावेद लतीफ को भी हार का सामना करना पड़ा है।

इंकलाब के इसी अंक में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार खैबर पख्तनूख्वा के डिवीजन मलकंद के जिला शांगला में पुलिस के साथ झड़प में पीटीआई के तीन कार्यकर्ता मारे गए और 10 घायल हो गए। एक अन्य समाचार के अनुसार पाकिस्तान में मतदान के दिन 51 आतंकी हमले हुए, जिनमें दस सैनिक सहित 12 लोग मारे गए। एक सरकारी बयान के अनुसार छह हजार संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पाकिस्तानी सेना के डेढ़ लाख से अधिक सैनिक तैनात किए गए थे।

अवधनामा (4 फरवरी) के अनुसार कराची में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

पाकिस्तानी अखबार **मशरिक** (9 फरवरी) के अनुसार बलूचिस्तान में मतदान के दौरान हुए दो धमाकों में 40 से अधिक लोग मारे गए और लगभग दो दर्जन घायल हो गए। ये धमाके किला सैफुल्लाह और पिशिन में हुए। पिशिन में निर्दलीय उम्मीदवार असफंदयार खान काकर के कार्यालय के बाहर धमाका हुआ। यह धमाका एक मोटरसाइकिल में रखे बम से हुआ, जिसमें घटनास्थल पर ही 25 लोग मारे गए। दूसरा धमाका किला सैफुल्लाह में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के कार्यालय के बाहर हुआ, जिसमें भी 25 लोगों के मारे जाने की सूचना है। वहीं, जिला सिबी में पीटीआई की एक चुनावी रैली पर आतंकी संगठन आईएसआईएस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें दस लोगों के मारे जाने की सूचना है।

सियासत (4 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के निकाह को हराम घोषित किया गया है और उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। इसके

अतिरिक्त सरकारी गोपनीयता को सार्वजनिक करने के एक अन्य मुकदमे में इमरान खान को दस साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14-14 साल की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त अदालत ने उन पर 78 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह भी कहा है कि इमरान खान दस साल तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ अदालतों के इन फैसलों से यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तानी न्यायपालिका सेना के हाथ की कठपुतली बन गई है। यह एक खतरनाक संकेत है, जो पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक है। इसके साथ ही इन फैसलों से जनता की नजर में न्यायपालिका की विश्वसनीयता भी खत्म हो गई है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (5 फरवरी) के अनुसार इमरान खान के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण पाकिस्तान का चुनाव विवादित बन गया है। एक ओर तो इमरान खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। दूसरी ओर, मुस्लिम लीग (नवाज) के नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। नवाज शरीफ पिछले तीन सालों से लंदन में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब वे वापस आ गए हैं। उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के सभी मुकदमे भी वापस ले लिए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब इस फैसले को भी बदल दिया गया है।

सियासत (1 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि वहां पर जो भी नेता सत्तारूढ़ हुआ उसने अपने पूर्ववर्ती शासकों को न केवल परेशान किया, बल्कि उन्हें फांसी पर लटका दिया या फिर देश से निर्वासित कर दिया। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा से लेकर इमरान खान तक बदले की राजनीति का यह घिनौना सफर जारी है। पीटीआई के मीडिया सलाहकार सैयद जुल्फिकार बुखारी का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमे मजाक बन गए हैं। इमरान के वकील को गवाहों से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई है। पाकिस्तान में रह चुके भारतीय उच्चायुक्त शरत सभरवाल का कहना है कि पाकिस्तानी सेना हर उस नेता को जेल में डाल देती है, जो उसके इशारों पर नहीं नाचता है। पाकिस्तान में चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन वहां पर राजनीतिक संकट समाप्त नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना सत्ता को अपने हाथों में रखना चाहती है।

सियासत (12 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तानी सेना द्वारा इमरान खान की राजनीति को खत्म करने के अभियान के बावजूद उनके 100 से अधिक समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते हैं। इससे साफ है कि वहां की जनता इमरान खान के साथ है। सेना द्वारा हर हथकंडा इस्तेमाल किए जाने के बावजूद वहां की जनता ने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को पसंद नहीं किया है। पाकिस्तान का लोकतंत्र सेना के हाथ में बंधक बना हुआ है। वहां पर जो भी

सरकार बनेगी उसे जनता की सरकार कहना लोकतंत्र का मजाक होगा। वहां की सरकार सिर्फ सेना के इशारे पर काम करेगी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (8 फरवरी) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के शासकों से मांग की है कि वे निष्पक्ष माहौल में चुनाव करवाएं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के इशारे पर इमरान खान को विभिन्न मुकदमों में 34 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है और उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान की ताकतवर सेना इमरान खान को इसलिए अपना निशाना बना रही है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जनरलों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं, सेना का कहना है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नौ मई को सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे और जनता को सेना के खिलाफ भड़काया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने कहा है कि अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से अहमदियों को चुनाव में भाग लेने से वंचित किया जा रहा है।

इसी समाचारपत्र ने 9 फरवरी के अंक में एक अमेरिकी कंपनी के सर्वे के निष्कर्षों को प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि 70 प्रतिशत पाकिस्तानियों को इस बात का विश्वास नहीं है कि देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होंगे।

उर्दू टाइम्स (14 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान में हुए चुनावों में धांधली के आरोपों की निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए। प्रवक्ता ने चुनावी हिंसा और मोबाइल व इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाने की भी निंदा की है।

सियासत (12 फरवरी) के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन ओर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में हुए चुनावों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि वह चुनावी धांधलियों की न्यायिक जांच करवाए।

इंकलाब (13 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने कहा है कि हम किसी विदेशी एजेंसी या नेता के कहने पर अपने देश में हुए चुनावों के बारे में किसी तरह की जांच नहीं करवाएंगे। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव परिणामों में देरी का अर्थ यह कतई नहीं है कि इनमें कोई धांधली हुई है। पाकिस्तान में आतंकवाद की चुनौती के कारण मोबाइल सेवा बंद की गई थी। चुनाव के दौरान अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मतदान के 36 घंटे के अंदर ही चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी गई। जबकि 2018 में 64 घंटों के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेवारी को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। हम अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन की मांग पर चुनावों की जांच नहीं कर सकते। हम यह समझते हैं कि देश में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण में हुए हैं और इन चुनावों में सभी राजनीतिक दलों को भाग लेने का पूरा मौका दिया गया है।

अफगानिस्तान में पैर पसार रहा अलकायदा

इंकलाब (3 फरवरी) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि अलकायदा अफगानिस्तान में फिर से अपना पैर पसार रहा है। हाल ही में उसने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में मदरसे स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त उसने आतंकी प्रशिक्षण शिविर स्थापित करने और अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों को इकट्ठा करने का काम भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अलकायदा के तालिबान के साथ नजदीकी संबंध हैं। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से वापसी के समय जो अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों के भंडार छोड़े थे उनमें से अधिकांश पर अलकायदा ने कब्जा कर लिया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अलकायदा के दस से अधिक कमांडर सत्तारूढ़ तालिबान सरकार में महत्त्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं। हाल ही में अलकायदा ने गजनी, लगमान, परवान और उरोज्गान प्रांत में आठ नए आतंकी प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए हैं। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के अलकायदा के साथ बड़ी तेजी से संबंध स्थापित हो रहे हैं। अलकायदा के वरिष्ठ कमांडर हकीम अल-मसरी ने इन प्रशिक्षण शिविरों और आत्मघाती दस्ते की कमान संभाल ली है। इसके अतिरिक्त इन प्रशिक्षण शिविरों में टीटीपी के कैडर को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उर्दू टाइम्स (6 फरवरी) के अनुसार आतंकी संगठन अलकायदा अफगानिस्तान के इस्लामी मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को आतंकी प्रशिक्षण दे रहा है। इसके अतिरिक्त आतंकी संगठन आईएसआईएस भी अफगानिस्तान में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के अभियान में जुट गया है। इन दोनों आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों ईरान और पाकिस्तान में अपनी हिंसक गतिविधियों को तेज कर दिया है। ये इस्लामी आतंकी संगठन अपनी सैन्य क्षमता और प्रहार करने की शक्ति में भी निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। गौरतलब है कि अलकायदा और आईएसआईएस के बीच कभी घनिष्ठ संबंध थे, मगर अब दोनों के संबंधों में खटास आ गई है। यही कारण है कि हाल ही में आईएसआईएस ने अफगानिस्तान और

ईरान के अनेक क्षेत्रों में एक दर्जन के लगभग आतंकी कार्रवाईयां की हैं, जिनमें लगभग 500 लोग मारे गए हैं। इन दोनों संगठनों की आपसी होड़ के कारण इस क्षेत्र में स्थिति दिन-प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है।

रोजनामा सहारा (2 फरवरी) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार पाकिस्तान और ईरान में आतंकी हमलों के संचालन के पीछे अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान का हाथ है। इन हमलों में अमेरिकी सेना द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस ओर कई बार अफगानिस्तान सरकार का ध्यान भी दिलाया है, मगर उसने अलकायदा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि अफगान सरकार की उदासीनता के कारण अलकायदा से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन टीटीपी अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि तालिबान सरकार इसे इस्लामी जिहाद का एक हिस्सा मानती है, इसलिए वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीटीपी को पूरा सहयोग दे रही है। पाकिस्तान सरकार के दबाव के कारण अफगान सरकार ने हाल ही में अलकायदा से संबंधित 200 के लगभग आतंकियों को अपनी हिरासत में लेकर उन्हें पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा से दूर उत्तरी क्षेत्र में भेज दिया है। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के उद्देश्य से अलकायदा ने एक अन्य आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान का गठन किया है। इस संगठन के दो अन्य इस्लामी आतंकी संगठनों ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुवमेंट और तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी से नजदीकी रिश्ते बताए जाते हैं। हाल ही में अलकायदा के मजीद ब्रिगेड का भी टीटीपी के साथ गुप्त समझौता हुआ है। इसके अतिरिक्त आतंकी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए महिलाओं और युवतियों को अलकायदा में भर्ती किया गया है।

इंकलाब (3 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया है, जिसमें यह दावा किया गया था कि अफगानिस्तान में अलकायदा सहित अन्य इस्लामिक आतंकी संगठनों के अड्डे हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान में हार का मुंह देखने वाले तत्व अब तालिबान सरकार को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान इन सभी झूठे आरोपों को खारिज करता है और इसे दुष्प्रचार का एक हिस्सा करार देता है। मुजाहिद ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ काफी समय से बेबुनियाद आरोप लगाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अलकायदा का कोई वजूद नहीं है और न ही हमारा प्रशासन किसी भी आतंकी संगठन को किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ आतंकी अभियान चलाने की अनुमति देता है। दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उन तत्वों के हाथों में खेल रही है, जिन्होंने 20 सालों से अफगानिस्तान के प्रशासन पर कब्जा कर रखा था और अब जनता की जागृति के कारण उन्हें अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर अफगानिस्तान से भागना पड़ा है।

सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के नए बादशाह

रोजनामा सहारा (1 फरवरी) के अनुसार जोहोर रियासत के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने कुआलालंपुर के शाही महल में मलेशिया के 17वें बादशाह के रूप में शपथ ली है। जबकि पेराक राज्य के सुल्तान नाजरीन शाह अगले पांच साल तक उनके उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। बादशाह के शपथ समारोह में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम अपने मंत्रिमंडल सहित मौजूद थे। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने अपने पद की शपथ निवर्तमान बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह के सेवानिवृत्त होने के बाद ली है। गौरतलब है कि मलेशिया में संवैधानिक राजशाही है। मलेशिया का सृजन इस क्षेत्र के नौ रियासतों के एकीकरण के बाद किया गया था। इन राज्यों के शासक सुल्तान कहलाते हैं और उन्हें पांच साल के लिए बारी-बारी से मलेशिया के बादशाह के रूप में शपथ दिलाई जाती है। जिस सुल्तान का बादशाह के उत्तराधिकारी के रूप में चयन किया जाता है उसे नायब बादशाह की शपथ दिलाई जाती है। पांच वर्ष की कार्यावधि पूरी होने के बाद बादशाह अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाता है। इसके बाद बाादशाह का पद उसके उत्तराधिकारी सुल्तान को मिल जाता है।

मलेशिया के नए बादशाह 65 वर्षीय सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर की गिनती विश्व के धनाढ्य शासकों में की जाती है। एक अनुमान के अनुसार उनकी संपत्ति पांच अरब 70 करोड़ डॉलर से भी अधिक है, जिनमें लग्जरी कारें, निजी सेना, विमान आदि शामिल हैं। वर्तमान बादशाह की विदेशों में भी संपत्ति है, जिनमें भूमि, खदान, पाम ऑयल के बागान आदि शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए बादशाह के पास 300 से अधिक लग्जरी कार, एक निजी विमान बोइंग 737 सहित कई हवाई जहाज भी हैं। बादशाह इस्कंदर दुनिया के कई देशों में मोबाइल सर्विस कंपनियों के भी मालिक हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 58 करोड़ 80 लाख डॉलर का पूंजी निवेश विभिन्न कंपनियों में किया है। बादशाह के पास सिंगापुर में चार अरब डॉलर की जमीन सहित कई बहुमंजिला इमारत व मॉल्स भी हैं। मलेशिया की प्रशासनिक व्यवस्था में बादशाह इब्राहिम की भूमिका केवल सांकेतिक है। वहां की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। नए बादशाह के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। हाल ही में उन्होंने चीनी कंपनियों के सहयोग से विश्व के कई देशों में पूंजी निवेश किया है। बादशाह इब्राहिम के सत्तारूढ़ होने से मलेशिया में चीन के वर्चस्व में वृद्धि होने की संभावना है।

इल्हाम अलीयेव अजरबैजान के राष्ट्रपति निर्वाचित

अवधनामा (9 फरवरी) के अनुसार हाल ही में हुए चुनाव में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने 92 प्रतिशत मत लेकर पांचवीं बार देश के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया है। अजरबैजान के केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष मजाहिर पानाहोव ने संवाददाताओं को बताया कि देश की जनता ने अलीयेव को लगातार पांचवीं बार राष्ट्रपति चुना है। अलीयेव की जीत की घोषणा के बाद उनके हजारों समर्थक राजधानी बाकू की सड़कों पर जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए। अलीयेव ने निर्धारित समय से एक साल पहले ही देश में चुनाव करवाए हैं। पिछले चुनाव में उन्हें 85 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। आरोप लगाया जाता है कि चुनाव से पहले राष्ट्रपति अलीयेव ने मीडिया के एक बड़े हिस्से के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने समय से पूर्व ही अचानक देश में चुनाव कराने की घोषणा कर दी। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति की इस घोषणा को अलोकतांत्रिक करार देते हुए चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की थी। अजरबैजान की प्रमुख विपक्षी पार्टी अजरबैजानी पॉपुलर फ्रंट पार्टी के अध्यक्ष अली करीमली ने इन चुनावों को 'लोकतंत्र का ढोंग' करार देते हुए यह आरोप लगाया है कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए कोई जगह नहीं रही है। अलीयेव के विरोध में जो पांच उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे वे उन्हीं की पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे। इन उम्मीदवारों ने अपने चुनावी भाषणों में अलीयेव को एक महान नेता और अजरबैजान का मुक्तिकर्ता घोषित किया था।

आर्मीनिया के पृथकतावादियों से काराबाख की मुक्ति के बाद पहली बार वहां पर 26 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। काराबाख के खानकेंडी क्षेत्र के मतदान केंद्र पर राष्ट्रपति अलीयेव और उनकी पत्नी ने अपने मत डाले थे। राजधानी बाकू पर इस्लामी कब्जे के बाद यहां की पूरी आर्मीनियाई आबादी, जो लगभग एक लाख थी काराबाख छोड़कर आर्मीनिया चली गई थी। इसके बाद यह पूरा क्षेत्र वीरान हो गया था। चुनावों में आजीवन भाग लेने के योग्य बनने हेतु अलीयेव ने 2009 में अजरबैजान के संविधान में संशोधन किया था। अजरबैजान के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के इस फैसले की अलोचना करते हुए कहा था कि संविधान में इसलिए संशोधन किया गया है ताकि अलीयेव आजीवन राष्ट्रपति के पद पर बने रहें।

इसी तरह से 2016 में अजरबैजान में कई विवादास्पद संवैधानिक परिवर्तन किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया कि वे किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के तौर पर मनोनीत कर सकते हैं, जो आगे चलकर राष्ट्रपति के पद को संभालने के योग्य होगा। इन संशोधनों का लाभ उठाकर अलीयेव ने अपनी पत्नी मेहरीबान अलीयेव को उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया। इन विवादास्पद फैसलों के जरिए राष्ट्रपति अलीयेव ने सत्ता पर अपनी वंशवादी पकड़ को और मजबूत कर लिया है।

टिप्पणी: 2003 में पिता हैदर अलीयेव के निधन के बाद इल्हाम अलीयेव अजरबैजान के राष्ट्रपति बने थे। तब से वे हर चुनाव भारी बहुमत से जीतते आ रहे हैं। हैदर अलीयेव रूसी गुप्तचर एजेंसी केजीबी के उच्चाधिकारी थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद उन्होंने अजरबैजान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तब से इस पूरे क्षेत्र पर अलीयेव परिवार का शासन चला आ रहा है। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के आलोचकों का आरोप है कि उन्होंने विपक्ष और निष्पक्ष मीडिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। वे देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन करके अपने परिवार के लिए

अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। 2010 में वाशिंगटन पोस्ट ने यह आरोप लगाया था कि अलीयेव परिवार ने दुबई में सात करोड़ 50 लाख डॉलर की संपत्ति इल्हान अलीयेव के पुत्र हैदर और उनकी दो पुत्रियों आरजू और लेयला के नाम से खरीदी है। इस परिवार की कई अन्य अरब देशों में भी संपत्ति है।

सबसे रोचक बात यह है कि इल्हाम अलीयेव के तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से घनिष्ठ संबंध हैं। जब नागोर्नो-काराबाख के ईसाइयों ने अलीयेव सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था तो एर्दोगान ने अलीयेव का जोरदार समर्थन किया था। इसके बाद आर्मीनियाई ईसाइयों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया गया था। इस सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप नागोर्नो-काराबाख के ईसाइयों को वहां से बोरिया-बिस्तर बांध कर भागना पड़ा था। ईसाइयों के विद्रोह को कुचलने के लिए अजरबैजान की वायुसेना ने इस क्षेत्र पर भारी बमबारी की थी, जिसमें अनेक पृथकतावादी मारे गए थे।

प्रबोवो सुबिआंतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति निर्वाचित

रोजनामा सहारा (15 फरवरी) के अनुसार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के चुनाव में एक सैनिक जनरल प्रबोवो सुबिआंतो ने जीत दर्ज की है। सुबिआंतो इस समय इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। बताया जाता है कि उन्हें 58 प्रतिशत मत मिले हैं। सुबिआंतों ने एक स्थानीय स्टेडियम में इकट्ठे अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह इंडोनेशिया की जनता की जीत है। सुबिआंतो के प्रतिद्वंद्वी अनीस बसवेडान और गांजर प्रणोवो को क्रमशः 25 प्रतिशत और 17 प्रतिशत मत मिले हैं। इन नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि चुनावों में धांधली के कारण सुबिआंतो की जीत हुई है।

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया में एक सैनिक जनरल के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने से पूर्वी एशिया की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। 72 वर्षीय पूर्व जनरल सुबिआंतो का कहना है कि 58 प्रतिशत मत प्राप्त करने के बाद अब उनकी जीत में कोई संदेह नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में लोकतंत्र ठीक ढंग से काम कर रहा है और वे इंडोनेशिया के नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे। गौरतलब है कि इंडोनेशिया में संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस एक दिवसीय चुनाव में 17 हजार द्वीपों में 20 हजार 600 पदों के लिए लगभग 2 लाख 59 हजार उम्मीदवार मैदान में थे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति के साथ-साथ उपराष्ट्रपति को भी जनता ही चुनती है। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर कम-से-कम 50 प्रतिशत और प्रत्येक प्रांत में कम-से-कम 20 प्रतिशत मत मिलना जरूरी है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया में पिछली बार 75 प्रतिशत मतदान हुए थे। इन चुनावों के बाद देश भर में भीषण दंगे हुए थे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इस बार का मतदान सेना की निगरानी में कराया गया है।

कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारी रिहा

सियासत (13 फरवरी) के अनुसार कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को रिहा कर दिया है। इनमें से सात भारत वापस आ चुके हैं। यह सूचना भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। गौरतलब है कि कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। इस पर भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। इसके बाद भारत सरकार ने राजनयिक स्तर पर इनकी रिहाई के प्रयास शुरू किए थे। बाद में एक अन्य अदालत में अपील करने के बाद उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय विदेश मंत्रालय के अथक प्रयासों से कतर सरकार ने इन अधिकारियों को रिहा करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम इन भारतीय नागरिकों की रिहाई और उनकी घर वापसी के संदर्भ में कतर के अमीर के निर्णय की सराहना करते हैं।

गौरतलब है कि भारतीय नौसेना के ये आठ पूर्व अधिकारी कतर की एक निजी कंपनी में काम करते थे। यह कंपनी कतर की नौसेना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती थी। अगस्त 2022 में कतर की पनडुब्बी परियोजना के संबंध में इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इस कंपनी के मालिक को गिरफ्तारी के एक महीने के अंदर ही रिहा कर दिया गया था और उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं चलाया गया था। कतर सरकार ने अधिकृत रूप से इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि इन्हें किस आरोप में मौत की सजा दी गई है।

इत्तेमाद (13 फरवरी) के अनुसार भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इस केस में रुचि ले रहे थे और इन भारतीय अधिकारियों की रिहाई व उनकी सकुशल स्वदेश वापसी को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का आभारी है। विदेश सचिव ने बताया कि भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों में से सात स्वदेश वापस आ चुके हैं। एक अधिकारी कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी कुछ कागजी

कार्रवाई के कारण अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 26 अक्टूबर 2023 को इन अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। 28 दिसंबर 2023 को उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया। इसी दौरान दुबई में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए नरेन्द्र मोदी दुबई गए थे और उन्होंने इस संदर्भ में कतर के अमीर से बातचीत की थी। यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने भी इन अधिकारियों की रिहाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे इस संदर्भ में कतर के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए कई बार दोहा भी गए थे।

औरंगाबाद टाइम्स (14 फरवरी) के अनुसार भाजपा नेता सुब्रमणयम स्वामी ने यह दावा किया थाा कि इन अधिकारियों की रिहाई में फिल्म अभिनेता शाहरूख खान की भी विशेष भूमिका है। उन्होंने कहा कि शाहरूख ने हाल ही में कतर के अमीर से इस संदर्भ में मुलाकात की थी। बाद में शाहरूख खान ने स्वामी के इस दावे का खंडन करते हुए कहा था कि स्वामी के ये दावे बेबुनियाद हैं। इन अधिकारियों की रिहाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनकी रिहाई भारत सरकार के अधिकारियों और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण हुई है।

रोजनामा सहारा (13 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विदेशों में भारत का प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में जी-20 अधिवेशन की सफलता और कतर सरकार द्वारा भारतीय अधिकारियों की रिहाई का उल्लेख किया जा सकता है। कतर सरकार ने यह महसूस किया कि अगर इन आरोपियों को सजा-ए-मौत दी गई तो इससे भारत के साथ उसके संबंध खराब होंगे, इसलिए उसने इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। समाचारपत्र ने मोदी सरकार को उसके प्रयासों के लिए बधाई दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने इस संदर्भ में जो प्रयास किए उसका परिणाम सकारात्मक निकला है। भारतीय नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों की रिहाई इस बात का साफ संकेत है कि विश्व में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। पहले मध्य पूर्व के देशों में इस तरह का दबदबा सिर्फ अमेरिका और यूरोपीय देशों का ही था। भारतीयों के लिए इस तरह की कल्पना करना किसी सपने जैसा ही था। दिसंबर 2023 में कॉप-28 के अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दुबई गए थे। उस समय उन्होंने कतर के अमीर से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने इन आरोपियों की रिहाई के बारे में भी संकेत दिया था। खास बात यह है कि इन आरोपियों की रिहाई कतर सरकार ने उस समय की है जब नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के दौरान कतर भी जाने वाले थे। इस घटना से कतर और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हुई है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (16 फरवरी) के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्मान में कतर के अमीर ने अमीरी महल में भोज का आयोजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोहा में अमीर के पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी से भी मुलाकात की।

अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन

उर्दू टाइम्स (15 फरवरी) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अबू धाबी में बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) द्वारा निर्मित एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर के निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह मंदिर 27 एकड़ भूमि पर स्थित है। यह भूमि संयुक्त अरब अमीरात के अमीर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने दान में दी थी। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी 2015 से अब तक सात बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर चुके हैं। पिछले आठ महीने में वे तीन बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत गले लगाकर किया। इस अवसर पर उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' भी दिया गया। नरेन्द्र मोदी ने जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों के एक सम्मेलन को भी संबोधित किया, जिसका नाम 'अहलान मोदी' (हैलो मोदी) रखा गया था।

इंकलाब (15 फरवरी) के अनुसार इस मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें पूजा की और आरती में भी भाग लिया। पूजा करने के बाद उन्होंने इस मंदिर का निरीक्षण भी किया। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार इस मंदिर में सात शिखर बनाए गए हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात में शामिल सातों राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर में रामायण और महाभारत से संबंधित अनेक चित्र बनाए गए हैं। इस मंदिर में शांति और सौहार्द का गुंबद भी बनाया गया है।

रोजनामा सहारा (15 फरवरी) के अनुसार अबू धाबी मंदिर में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 'वैश्विक आरती' में भी भाग लिया। इस महाआरती का आयोजन विश्वभर में फैले हुए स्वामीनारायण संप्रदाय के 1200 से अधिक मंदिरों में एक साथ किया गया था। मंदिर का उद्घाटन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा और यमुना में जल का अर्पण भी किया। इस मंदिर में 300 से अधिक अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए हैं। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसकी नींव को भरने के लिए कंक्रीट मिश्रण में 55 प्रतिशत सीमेंट की जगह राख का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर निर्माण के प्रबंधक मधुसूदन पटेल ने कहा कि अबू धाबी के गर्म मौसम को देखते हुए इस मंदिर

में विशेष तरह के टाइल्स और कांच का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। मंदिर निर्माण हेतु 20 हजार टन से अधिक पत्थरों को राजस्थान में तराशा गया था और 700 कंटेनरों में भर कर इन्हें अबू धाबी लाया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे विशेष रिश्तों का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब 2015 में मैंने अपने अबू धाबी दौरे के दौरान मंदिर निर्माण का उल्लेख किया और यहां के शासकों से इसके लिए सहयोग मांगा तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा कि आप जिस जगह पर अपनी उंगली रख देंगे वह जगह आपको मिल जाएगी। इससे दोनों देशों के अनूठे रिश्तों का संकेत मिलता है। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मेरे आमंत्रण पर गुजरात का दौरा किया और उन्होंने 'वाइब्रेंट गुजरात समिट' को विश्वभर में नया महत्व दिया। मोदी ने कहा कि पिछले सात महीने में हम दोनों की यह पांचवीं मुलाकात है।

इस अवसर पर दोनों देशों के बीच नौ समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, जिनका संबंध व्यापार, पूंजी निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, पर्यटन और संस्कृति से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं मंदिर का पुजारी बनने योग्य हूं या नहीं, लेकिन मुझे भारत माता का पुजारी होने पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि यह विशाल हिंदू मंदिर एक ऐसे मुस्लिम देश में बना है जहां पर 36 लाख भारतीय रहते हैं। यह भारतीय आबादी संयुक्त अरब अमीरात की कुल आबादी का 30 प्रतिशत है। गौरतलब है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य 2019 से चल रहा था। यह मंदिर दुबई-अबू धाबी शेख जायद हाइवे पर बना है। इसके निर्माण में 18 लाख ईंट और एक लाख 80 हजार घन मीटर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नक्काशी का काम राजस्थान के कारीगरों ने किया है। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है जो बड़े-बड़े कंटेनरों में भारत से लाया गया था। अबू धाबी का यह पहला हिंदू मंदिर सहअस्तित्व के विचार का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इस हिंदू मंदिर के लिए एक मुस्लिम शासक ने जमीन दान की है। इस मंदिर का मुख्य वास्तुकार एक कैथोलिक ईसाई रहा है। जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिख है। वहीं, फाउंडेशनल डिजायनर एक बौद्ध है। जिस कंपनी ने इस मंदिर का निर्माण किया है वह एक पारसी समूह का है और इस मंदिर का निदेशक जैन धर्म से संबंध रखता है। इस तरह से इस हिंदू मंदिर के निर्माण में हर धर्म के लोगों के प्रतिनिधित्व की झलक मिलती है।

सियासत (17 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अरबी के शब्दों और वाक्यों का भी इस्तेमाल किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि विदेशी मुद्रा को भारत लाने में भारतीय मुसलमानों का विशेष योगदान है। इसे देखते हुए यह जरूरी है कि वे इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों के साथ हर क्षेत्र में न्याय करें ताकि सद्भावना का वातावरण बने। इससे मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने और उसे नई दिशा देने में विशेष रूप से सहायता मिलेगी।

अमेरिका द्वारा इराक और सीरिया के अनेक स्थानों पर भीषण बमबारी

इंकलाब (29 जनवरी) के अनुसार सीरिया सीमा के पास उत्तर-पूर्वी जॉर्डन में एक ड्रोन हमले में तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और दर्जनों घायल हुए थे। इस हमले की चर्चा करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आरोप लगाया था कि यह हमला ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों द्वारा किया गया था। उन्होंने यह घोषणा की थी कि इस हमले का अमेरिका मुंहतोड़ जवाब देगा। जबकि ईरान ने यह सफाई दी थी कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है।

उर्दू टाइम्स (1 फरवरी) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ने जॉर्डन में अपने तीन सैनिकों की मौत का बदला लेने का फैसला कर लिया है। इस संबंध में रणनीति भी तैयार कर ली गई है। अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने वाले दोषियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब एक पत्रकार ने राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा कि अगर इस हमले के पीछे ईरान का हाथ पाया गया तो क्या होगा? इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि लेबनान और जॉर्डन में सक्रिय मिलिशिया संगठन हिजबुल्लाह को ईरान अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करता रहा है। अगर हमें इस बात के सबूत मिले कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है तो हम इस संदर्भ में भविष्य की कोई लंबी रणनीति तय करेंगे। हालांकि, अभी हम युद्ध को विस्तार देने के पक्ष में नहीं हैं। वहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका इन हमलों का अनेक चरणों और अनेक स्थानों पर जवाब देगा और ये लंबे समय तक जारी रहेंगे।

इससे पूर्व पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा था कि जॉर्डन में अमेरिकी अड्डे पर हुए हमले में हिजबुल्लाह के फिंगर प्रिंट नजर आते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह को अस्त्र-शस्त्र और फंड उपलब्ध कराता रहा है। वहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में ईरान का कोई हाथ नहीं है। ये झूठी खबरें ऐसे तत्व फैला रहे हैं, जो इस क्षेत्र में युद्ध का विस्तार करना चाहते हैं। अमेरिका द्वारा इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी के बाद ईरान ने यह घोषणा की है कि ईरान अपनी भूमि, राष्ट्रीय हित और नागरिकों पर किसी भी तरह के हमले का सख्त

और निर्णायक जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थाई प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखे एक पत्र में कहा है कि उनका देश इस क्षेत्र में किसी गुट या व्यक्ति की किसी भी हरकत के लिए जिम्मेवार नहीं है। अमेरिका ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों और उनके ठिकानों पर हमले का जो दोष ईरान पर लगाया है वह गैरजिम्मेदाराना और बेबुनियाद है।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 जनवरी) के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि अमेरिका इस तरह के झूठे आरोप इजरायल के हमलों पर पर्दा डालने के लिए लगा रहा है। ईरान इस आरोप को बेबुनियाद समझता है। अगर अमेरिका ने सीरिया और इराक में सैन्य अड्डों पर हमले किए तो इजरायल के बाहर अन्य देशों में भी युद्ध का विस्तार होगा और इससे इस पूरे क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि इराक और सीरिया में जो मिलिशिया गुट संघर्ष कर रहे हैं वे ईरान से किसी तरह का निर्देश नहीं लेते हैं।

उर्दू टाइम्स (5 फरवरी) के अनुसार अपने तीन सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने इराक और सीरिया में ईरान के पासदारान-ए-इंकलाब, हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी मिलिशिया संगठनों के 85 अड्डों पर अंधाधुंध बमबारी की है। इस बमबारी में 40 से अधिक लोग मारे गए। ईरान के सुरक्षा बलों ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका के बी-1 बमवर्षक विमानों की बमबारी में पासदारान-ए-इंकलाब से संबंधित 16 लोग मारे गए हैं। जबकि सीरिया में अमेरिकी हमलों में मरने वालों की संख्या 23 बताई जाती है। अमेरिका ने इराक और सीरिया में पासदारान-ए-इंकलाब के हथियारों के भंडारों को भी तबाह करने का दावा किया है।

अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह हमारे जवाब की शुरुआत है। हम ईरान या किसी अन्य देश से युद्ध नहीं चाहते, मगर हम अमेरिकी सेना पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इराक के विदेश मंत्रालय ने बगदाद स्थित अमेरिकी राजदूत को तलब करके इन हमलों के बारे में उनसे विरोध प्रकट किया है। सीरिया ने भी अमेरिकी दूतावास को इस संदर्भ में विरोध पत्र दिया है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के अनुसार इराक में सक्रिय इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि उन्होंने सीरिया में कई अमेरिकी अड्डों पर हमले किए हैं और ये हमले अभी जारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने इराक के एरबिल में भी अमेरिका के कई ठिकानों पर हमले किए गए।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी सेना ने यह दावा किया है कि खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद उसने बगदाद में कई ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें कताइब हिजबुल्लाह का एक वरिष्ठ कमांडर विसाम मुहम्मद साबिर अल-सादी मारा गया। बताया जाता है कि अल-सादी जब बगदाद हाईवे पर एक कार में सफर कर रहा था तो अमेरिकी सेना ने उसे अपना निशाना बनाया।

उर्दू टाइम्स (5 फरवरी) के अनुसार जॉर्डन के सरकारी प्रवक्ता ने इस बात का खंडन किया है कि इराक और सीरिया में ईरान समर्थक मिलिशिया समूहों के अड्डों पर हुए हमलों में जॉर्डन की रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भी शामिल थे। प्रवक्ता ने कहा कि जॉर्डन की सेना ईरान की संप्रभुता का सम्मान करती है और इन हमलों में उसका कोई हाथ नहीं है।

यमन में हूती ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले

मुंबई उर्दू न्यूज (5 फरवरी) के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन ने पिछले एक सप्ताह में यमन में हूती विद्रोहियों के 36 ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका के सैन्य मुख्यालय पेंटागन ने दावा किया है कि इन हमलों में हूतियों के हथियारों के भंडारों को निशाना बनाया गया है, जिन्हें हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों पर हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद अक्टूबर महीने में भी हूतियों ने इजरायल और उसके समर्थक देशों के जलयानों को अपना निशाना बनाया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह कार्रवाई हूतियों को स्पष्ट संदेश देने के लिए है कि अगर वे लाल सागर में जलयानों पर अपने गैरकानूनी हमले बंद नहीं करते तो उन्हें इसके खौफनाक परिणाम भुगतने होंगे।

इत्तेमाद (3 फरवरी) के अनुसार यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों का सिलसिला निरंतर जारी है। यमन के एक वरिष्ठ सेनापति अब्दुल मलिक अल-अजरी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि इन हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं और हम फिलिस्तीनी जनता के समर्थन का सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक अन्य यमनी सेनापति ने कहा है कि हम अमेरिका और ब्रिटेन से डरने वाले नहीं है और न ही वे हमें फिलिस्तीनियों को समर्थन करने से रोक सकते हैं। गौरतलब है कि 11 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हूतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में सैन्य हमलों का सिलसिला शुरू किया था। यमनी सेना ने कहा है कि जब तक यहूदी सरकार गाजा में अपने हमले को बंद नहीं करती तब तक वे लाल सागर या बाब अल-मंदेब में इजरायल और उसके समर्थक देशों के जहाजों को अपना निशाना बनाते रहेंगे। यमनी सेना ने कहा कि हम इजरायल और उसके समर्थक देशों के जलयानों को छोड़कर किसी अन्य देश के जलयानों पर हमला नहीं करेंगे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 फरवरी) के अनुसार ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है कि ईरान समर्थक हूती विद्रोही 13 साल से कम उम्र के बच्चों को युद्ध के लिए भर्ती कर रहे हैं। अब तक हूती हजारों बच्चों को अपनी सेना में भर्ती कर चुके हैं। इन बच्चों को उनके स्कूलों से भर्ती किया जा रहा है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चों को युद्ध के लिए भर्ती करना युद्ध अपराध है। इन बच्चों को भर्ती करने वक्त यह अहसास दिलाया जाता है कि इन्हें फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन यमन में सऊदी अरब के समर्थक सैनिकों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए इन बच्चों को झोंक दिया जाता है।

उर्दू टाइम्स (7 फरवरी) के अनुसार हूतियों की गणना विश्व की ताकतवर सेना में की जाती है। उनके हमलों के कारण सैकड़ों जहाजों को लाल सागर का रास्ता छोड़ना पड़ा है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि हूती कौन हैं? दरअसल हूती यमन के उत्तर-पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला एक कबीला है। इस कबीले का प्रमुख हुसैन अल-हूती था। साल 2000 में उसने सऊदी अरब समर्थक यमन के शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध के कारण सऊदी समर्थक शासक गुट को यमन की राजधानी साना से बोरिया-बिस्तर बांध कर भागना पड़ा। साल 2014 में हूतियों ने साना पर कब्जा कर लिया। इस गृहयुद्ध के कारण डेढ़ लाख से अधिक लोग मारे गए हैं और 20 लाख लोग भुखमरी के शिकार हैं। पिछले सात सालों से हूती सऊदी अरब और अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका का

दावा है कि हूतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है और वह इन्हें हथियार और आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराता है। नवंबर 2023 से हूतियों ने इजरायल के समर्थक देशों के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत कर दी है और वे लाल सागर से गुजरने वाले जलयानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बना रहे हैं। हूती अमेरिका के नेतृत्व में बने 20 देशों के महागठबंधन के हमलों का भी मुकाबला कर रहे हैं।

इत्तेमाद (5 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यमन में अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अभियान के बावजूद हूतियों द्वारा जलयानों पर हमले कम नहीं हुए हैं। हूतियों के इन हमलों के कारण लाल सागर से गुजरने वाले जलयानों की संख्या में 30 प्रतिशत की कमी आई है। जनवरी के बाद हूतियों ने ब्रिटेन और अमेरिका के जलयानों को भी अपना निशाना बनाना शुरू किया और अब तक वे 28 जलयानों को डूबो चुके हैं। लाल सागर एशिया और यूरोप के बीच जहाजों के आवागमन का मुख्य रास्ता है। लाल सागर में हूती हमलों के कारण अब जलयानों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जाना पड़ता है। यह रास्ता बहुत ही लंबा है और इसमें काफी ईंधन भी खर्च होता है। उदाहरण के तौर पर चीन के शंघाई नगर से लाल सागर के रास्ते नीदरलैंड तक जाने वाले कंटेनरों पर 1200 अमेरिकी डॉलर खर्च होते थे, मगर अब उन्हें केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजने से पांच हजार डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। माल भेजने की अवधि में भी तीन सप्ताह की वृद्धि हुई है। हाल ही में अनेक देशों ने चीनी जलयानों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि हूतियों ने यह घोषणा की है कि वे चीनी जलयानों को अपना निशाना नहीं बनाएंगे।

उर्दू टाइम्स (17 फरवरी) के अनुसार अमेरिका ने यह घोषणा की है कि अमेरिकी नौसेना के एक जहाज ने ईरान से आने वाले हथियारों के एक भंडार को जब्त कर लिया है। हथियारों के इस भंडार को इस महीने के प्रारंभ में अरब सागर में जब्त किया गया था। ये हथियार ईरान से हूतियों को भेजे जा रहे थे। इस भंडार में 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल, चालक रहित ड्रोन, संचार संयंत्र, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आदि शामिल हैं।

ईरान ने की भारतीयों के लिए वीजा–मुक्त प्रवेश की घोषणा

सहाफत (7 फरवरी) के अनुसार ईरान सरकार ने यह घोषणा की है कि 4 फरवरी 2024 के बाद से ईरान आने वाले भारतीयों को वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। पासपोर्ट रखने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक हर छह महीने में एक बार बिना वीजा के 15 दिनों तक ईरान में रह सकेगा। ईरान सरकार के अनुसार वीजा न लेने की शर्त उन लोगों पर लागू होगी, जो ईरान में पर्यटन के उद्देश्य से दाखिल होंगे। 15 दिनों के बाद उन्हें ईरान में रहने की अनुमति नहीं होगी और न ही उनके प्रवास की अवधि में कोई वृद्धि की जाएगी। अगर कोई भारतीय नागरिक छह महीने की अवधि में एक से अधिक बार ईरान आना चाहता हो या वह 15 दिनों से ज्यादा अवधि के लिए ईरान में प्रवास करना चाहता हो तो उसे वीजा के लिए आवेदन करना होगा और यह वीजा उन्हें भारत स्थित ईरानी दूतावास से प्राप्त करना होगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

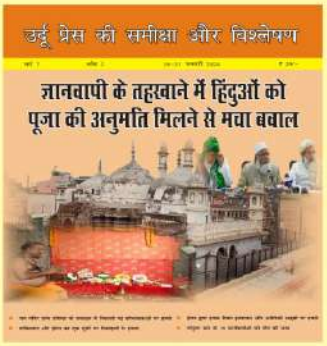

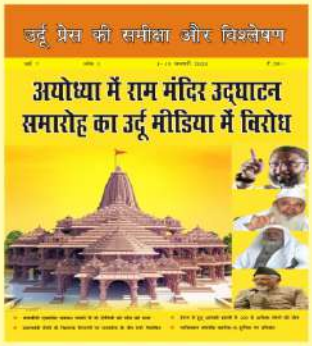

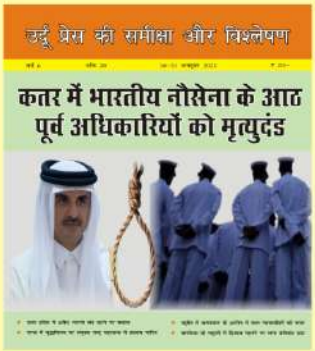

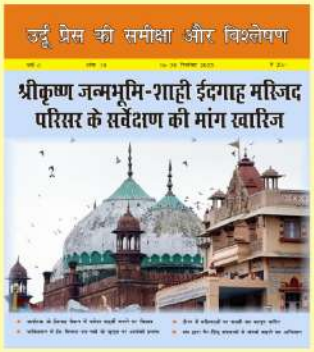

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in